

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 304 /2022

उनवान

उदा पुत्र प्रताप जाट निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

- 1- भुरा पिता हीरा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
- 2- भोना पिता घीसु गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
- 3- भोलु, प्रभु पिता सोनाथ गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
- 5- श्रवण पिता हजारी गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
- 6- देदा पिता मोती गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी  
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20.9.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं – ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 218 रकबा 1.03 है0, 219 रकबा 0.60 है0, 220 रकबा 0.29 है0, 221 रकबा 0.06 है0, 222 रकबा 0.36 है0, 758/217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 रकबा 2.54 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेड़ी खुर्द में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 6 रकबा 2.54 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा